Title : National Rural Employment Guarantee Bill

NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE BILL ,2004- contd.

MR. SPEAKER: Thank you very much. Now, the House will take up item No. 17 − further consideration of the motion moved by Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

I wish to express my greatest appreciation to all the hon. Members who took part in this debate till almost midnight yesterday which shows their commitment to the functioning of this House and the sincerity and the great concern they have shown to this House and to the subject matter. It is so commendable. I am sure that it will be recognised by all concerned, particularly the people of this country, that this House does function for them.

Now the hon. Minister, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, to reply.

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आपने इस तरह के विधेयक को पारित करवाने की कृपा की। आपने सही कहा कि विधेयक पर बहस 18 तारीख से शुरू हुई और कल रात साढ़े ग्यारह बजे तक चली, जिसमें 70 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया। जो माननीय सदस्य बहस में हिस्सा नहीं ले सके, उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य टेबल पर रख दिया। इससे समझा जा सकता है कि माननीय सदस्यों ने इसमें कितनी रूचि ली है। सदन में माननीय सदस्यों ने इतना उत्साह, इतनी रूचि ली और इस पर गहराई से सोच-विचार कर ऐसा विश्लेषण किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। यह विधेयक का महत्व बताता है। सभी पार्टी के माननीय सदस्यों ने बड़ी गहराई से इसमें रूचि ली। बड़ा संयोग है कि 18 तारीख को इस विधेयक की शुरुआत हुई, 19 तारीख को रक्षाबंधन था, 20 तारीख को स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्म दिन को देशभर के लोगों ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया और आज इसे पारित करने का मुहुर्त आ गया है। इसमें सभी पक्षों के माननीय सदस्यों का भारी उत्साह और समर्थन रहा। कुछ कतिपय सुझाव क्या हैं, उनके बारे में मैं बहस के उत्तर में बताऊंगा, लेकिन सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की बड़ी सराहना की है, भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उन्होंने अपने कई बहुमूल्य सुझाव भी हमें दिये हैं। उन्होंने विश्लेषण करके हमें सावधान भी किया है कि इसमें क्या-क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। यह जानी हुई बात है कि अपने देश में गरीबी और बेकारी पहले से ही है। हमारे देश में शुरू से ही अकाल, सुखाड़, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं। हमारा इतिहास है कि जब कभी सूखा पड़ा तो राजा जनक को भी हल चलाना पड़ा। इसी तरह बाढ़, सुखाड, भूकम्प, साइक्लोन और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हमारा देश बराबर प्रभावित होता रहा है, उनका कुप्रभाव हमारे देश पर पड़ता रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पुराने जमाने में शासन में जो लोग रहे हैं, अपने देश की संस्कृति है कि " जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप होई नरक अधिकारी।" जिसके राज्य में प्रजा दुखी हो, वह राज्य नरक होता है यानी सबसे खराब होता है। यह ऊंची संस्कृति है। â€¦ (व्यवधान) मैं कहां की बात कर रहा हूं। आप ऊंचा दर्शन समझने का प्रयत्न कीजिए। इसलिए जब पुराने जमाने में अकाल, सुखाड़, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा आयी, तो उस हालत में अनाज देकर तला उगाही की व्यवस्था शुरू की गयी। जब कोई फसल नहीं होती, भूमिहीन लोगों, गरीब लोगों के पास जीने का कोई जरिया नहीं रहता तब अपने देश में अनाज देकर तला उगाही का काम होता था। हमारे देश में पुराने जमाने के लाखों-लाख तला हैं। मैं करीब 30-40 बरसों से देखता रहा हूं कि रिलीफ के नाम पर, गरीबों को रोजगार देने के लिए हार्ड मैनुअल लैबर स्कीम चलाई गयी क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं रहा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय कल्याण सिंह जी यहां नहीं हैं। हमने कल्याण सिंह जी को धन्यवाद दिया था क्योंकि वे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने बड़ा विश्लेषण करके हमें एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का अनादर किया है। कभी भी स्टैंडिंग कमेटी का अनादर नहीं किया जा सकता क्योंकि सदन की जो गरिमा-महिमा है, उसकी समितियों की भी वही गरिमा-महिमा है। यही संसदीय प्रणाली से हमने सीखा है। स्टैंडिंग कमेटी की कुल 22 अनुशंसाएं थीं, जिनमें से हमने 16 अनुशंसाओं को मान्य किया है। नौ अनुशंसाओं को हमने सम्पूर्ण मान्य किया है और सात अनुशंसाओं को हमने आंशिक रूप से मान्य किया है। बाकी छः अनुशंसाओं को मानने में हमें कठिनाई है। हमने उस कमेटी का आदर किया है। उस कमेटी के माननीय सदस्य श्री हन्नान मोल्लाह और श्री किशोर चन्द्र एस देव ने काफी रूचि लेकर इसका विश्लेषण किया और चाहा कि यह रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा हो जाये, लेकिन बीच में एक बाधा उत्पन्न हो गयी। अध्यक्ष जी, आप साक्ष्य हैं। आपने भी लिखा-पढ़ी की थी। उस समय विपक्ष ने सदन और समितियों की बैठकों का बहिष्कार कर दिया, नहीं तो यह विधेयक पिछले सत्र में ही पारित हो जाता। लेकिन उसके चलते कुछ विलंब हुआ। मैं उसका उद्धरण नहीं देना चाहता। समिति के सदस्यों ने इस पर बड़ी मेहनत की है। उन्होंने जो ठोस सुझाव दिये हैं, उनको हमने मान्य किया है।

श्री कल्याण सिंह ने अपने भाषण में कहा कि पुराने जमाने की जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि योजनाएं विफल हो गयीं--यह गलत है। कभी भी ये योजनाएं विफल नहीं हुईं। हां, इन योजनाओं में कम खर्च हुआ लेकिन 1980 से लेकर वर्ष 2004 तक 79 हजार करोड़ रुपये वेज इम्प्लायमैंट में खर्च हुए, जवाहर रोजगार योजना पर 30 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए और इस तरह कुल 79 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। नैशनल रूरल इम्प्लायमैंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलैस इम्प्लायमैंट प्रोग्राम यानी एनआरपी, आरएलईजीपी, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्रामीण समृद्धि योजना, इम्प्लायमैंट, इंश्योरेंस स्कीम, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि वेज इम्प्लायमैंट योजनाएं अपने देश में लागू रही हैं। उसमें खर्च हुआ लेकिन पिछले 24-25 वर्षों में करीब 1800 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। अगर ये नहीं होते तो गरीबों को कहां से काम मिलता, रोजगार मिलता? देश में भुखमरी हो सकती थी। इसीलिए यह सब काम हुआ। वर्षवार हमने आंकड़े इसीलिए जुटाए हैं, भले ही हमें तकलीफ हुई। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, श्री कल्याण सिंह जी ने कह दिया कि तैयारी के साथ विधेयक नहीं आया। मैं उनके इस चार्ज को खारिज करता हूं। पूरी तैयारी के साथ यह विधेयक आया है, क्योंकि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह हमारा कमिटमेंट था। इसीलिए हमारे विभाग में यह विधेयक तैयार करने के लिए सितम्बर, 2004 में आया और 21 दिसम्बर को हमने यहां बिल इंट्रोड्यूस किया। एक से एक विद्वान एनजीओज, नेशनल एड्वाइजरी काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी कर रही हैं, सभी से गहन विचार-विमर्श करके यह बिल लाया गया है। इसीलिए इस विधेयक की मूल भावना से किसी को एतराज नहीं है। इसमें गति को और बढ़ाया जाए, और तेज किया जाए, और जल्दी किया जाए, यही सब माननीय सदस्यों का सुझाव आया है जिसका अभी मैं विश्लेषण करके बताऊंगा।

नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट प्रोग्राम में 325 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित हुआ। रूरल लैंडलेस एम्पलॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में 115 करोड़ दिवस, जवाहर रोजगार योजना में 737 करोड़ दिवस, एम्पलॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में 264 करोड़ दिवस, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में 5 करोड़ 86 लाख दिवस, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 294 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित हुआ। नेशनल फूड फॉर वर्क योजना जो हाल ही में लागू हुई, इसमें 13 करोड़ 86 लाख दिवस कार्य सृजित हुआ। इन सभी योजनाओं में काम भी हुआ है। काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस योजना में एक पंथ दो काज हुआ है। एक काम और दो लाभ यानी पहला लाभ यह कि लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजी मिलेगी और वह भुखमरी से बचेगा, फूड सिक्योरिटी का इसमें लक्ष्य है और दूसरे, इससे परमानेंट एसैट का सृजन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी सृजित होगी।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें कुछ काम हुआ है, जरा वह बता दें कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लाल मुनी चौबे जी, उन्होंने यील्ड नहीं किया है।

â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It is a very serious matter.

...(*Interruptions*)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कृपा करके सुनने का काम करें। आप उसमें काम पूछ रहे हैं। मानव दिवस तो हमने मुंहजबानी बता दिया है 1800 करोड़ दिवस।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Do not record it. Nothing will be recorded.

(Interruptions) â€¦*

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक बात नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : करीब पांच लाख विद्यालय भवनों का निर्माण हुआ।â€¦ (व्यवधान) आप काम पूछ रहे हैं,â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Lal Muni Choubey, you are a senior Member.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Do not record anything except the statement of hon. Minister or what is permitted by me.

(Interruptions) â€¦*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : कुल 16 लाख कि.मी. लम्बाई की सड़कों में मिट्टीकरण, ईंटकरण, कहीं मिट्टी, कहीं ईंट, कहीं पत्थरीकरण का काम हुआ है। करीब ढ़ाई लाख तालाबों का निर्माण हुआ। एससी,एसटी के लिए दस लाख कुंओं का निर्माण हुआ।â€¦ (व्यवधान) डेढ़ लाख पंचायतघरों का निर्माण हुआ। इसमें आपके राज्य का काम भी शामिल है।â€¦ (व्यवधान) इसमें आपका भी साढ़े पांच वर्ष का राज रहा है, उसका आंकड़ा भी इसमें शामिल है। क्यों छटपट कर रहे हैं ? मैं सारी बातें ठीक बता रहा हूं। â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you doing here? This is not your seat. This is not the way to behave in the House.

...(*Interruptions*)

---

* Not Recorded.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : डेढ़ लाख पंचायतघरों का निर्माण हुआ है। सामाजिक वानिकी में 16 हेक्टेअर, और 5,000 करोड़ पौधे, ये सब आंकड़े हमने यह साबित करने के लिए जुटाए हैं कि ये योजनाएं विफल नहीं हुई हैं। इनका नाम बदल दिया गया, इनमें जोड़-घटाव होता गया। कोई जवाहर के नाम से थी तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम से उनका नाम बदल दिया गया, कहीं जवाहर ग्राम समृद्धि है तो उसे बदलकर सम्पूर्ण ग्रामीण समृद्धि कर दिया गया है। यह सब फर्क पड़ा है लेकिन वेज एम्पलॉयमेंट का कार्यक्रम चलता रहा है और हमने जो शुरू में कहा था कि 'जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी', उस हिसाब से रिलीफ का काम चलता है।

मशहूर इकोनोमिस्ट केन, जो ब्रिटेन के अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मुफ्त में कोई चीज बांटने से देश का पुरूषार्थ कमजोर होता है, लेकिन गरीब आदमियों को हम भूखों मरने नहीं दे सकते, इसलिए कोई न कोई काम कराकर ही, उनको रोजी देकर, मजदूरी देकर, उनकी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनको मुफ्त में कोई चीज नहीं देनी चाहिए, इसी सिद्धान्त के आधार पर कई वेज एम्प्लायमेंट प्रोग्राम अपने देश में वर्षों से चल रहे हैं। नेशनल एम्प्लायमेंट गारन्टी कानून, जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है, उसकी अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में माननीय सदस्यों ने उत्साहपूर्वक इसमें रूचि ली है। सभी नेताओं ने और यूपीए की चेयरपर्सन, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इसे बनाने में, पास कराने में भागीदारी की है और समर्थन दिया है। उधर से श्री कल्याण सिंह जी और श्री मल्होत्रा जी ने तो इसमें अमेंडमेंट भी प्रस्तावित किया है लेकिन अभी तक उनका वक्तव्य नहीं हुआ है। श्री खारबेला स्वांई और श्री संतोष गंगवार ने भी अमेंडमेंट के प्रस्ताव किए हैं। उधर से ही श्री सुभाष महरिया, श्री अन्नासाहेब पाटिल, श्री धमेन्द्र प्रधान आदि सदस्यों ने इसमें रूचि ली है और उनके वक्तव्य हुए हैं।

महोदय, वामपंथी दलों के सभी नेताओं ने, पोलित ब्युरो से लेकर संसद के अंदर तक, सभी माननीय नेताओं ने, कामरेड और दोस्तों ने इसमें रूचि ली है। माननीय नेता श्री वसुदेव आचार्य, श्री रूपचन्द पाल, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री सुधाकर रेड्डी सहित सभी लोगों ने इसमें बड़ी रूचि दिखाते हुए उत्साहपूर्वक इसे समर्थन दिया है।

समाजवादी पार्टी के श्री मोहन सिंह जी कभी-कभी मान लेते हैं कि अलग पार्टी के हैं, लेकिन हम कभी समाजवादी पार्टी को अपने से अलग पार्टी नहीं मानते हैं। हम एक ही हाड-मांस के टुकड़े हैं, कभी एक हो जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। माननीय श्री राम गोपाल यादव जी ने बड़ी रूचि से उत्साहपूर्वक सुझाव और समर्थन दिया है। श्री मोहन सिंह ने लिटमस पेपर की बात हमें याद दिलायी कि महात्मा गांधी जी ने पं. जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि आप जब भी किसी पत्रावली पर दस्तखत

कीजिए तो पहले यह देख लीजिए कि उसमें सबसे गरीब आदमी के लिए कुछ है या नहीं। उस लिटमस पेपर पर यह विधेयक खरा उतरता है और इसीलिए उन्होंने यह सुझाव भी दिया है इसे अच्छी तरह लागू किया जाना चाहिए।

महोदय, आज हमारे देश की क्या स्थिति है? महान कवि गोपाल सिंह नेपाली ने हमारे देश में गैर-बराबरी की स्थिति को इन शब्दों में व्यक्त किया है :

"चन्द्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती हैं,

चांदनी झोप्ड़ी से लिपटकर हर रात सि्सकती रहती है,

हर रात सि्सकती रहती है।"

महोद्य, एक तरफ तो झोप्ड़ी है और दू्सरी तरफ महल है। वह आगे लिखते हैं :

"लाख-लाख झोपड़ि्यों में छाई हुई उदा्सी है,

सत्ता सम्पत्ति के बंगले में हंसती पूरनमा्सी है,

यह सब अ्ब न चलने देंगे, हमने क्समें खाई हैं,

तिलक लगाने तुम्हें ज्वानी, क्रान्ति द्वार पर आई है।"

महोद्य, यही नहीं, यह बिल रा्ट्रक्वि दिनकर के श्ब्दों को चरितार्थ करता है :

"शांति नहीं त्ब तक ज्ब तक सुखभाग न नर का सम हो।

नहीं कि्सी को बहुत अधिक हो, नहीं कि्सी को कम हो।।"

महोद्य, ज्ब इस तरह का सिद्धान्त होगा, त्भी गांवों में ब्सने वाले गरी्ब आम आदमी, झोप्ड़ी वाले, बिना घर वाले जो 1.5 करो्ड़ परि्वार हमारे देश में रहते हैं, वे ऐ्से परि्वार है जो रोटी, कप्ड़ा ओर मकान के अ्भाव में रहते हैं। इ्सीलिए यह कानून आ्या है। इ्समें हमने यह दा्वा नहीं कि्या है कि इ्स्से गरी्बी समूल न्ट हो जाएगी, बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और स्वर्ग उतर आएगा, लेकिन हम यह दा्वा करते हैं कि गरी्बी उन्मूलन की तरफ और बेकारी उन्मूलन की तरफ यह बिल स्ब्से ठो्स ही नहीं, स्ब्से भारी और साह्सिक कदम है।

अ्ब स्वाल उठता है, जै्से लोग कहते हैं कि आपने इ्स बिल में 100 दिन काम देने की बात ही क्यों कही है। कई माननी्य सद्स्यों ने यह बात यहां कही। यहां पर नीती्श जी, सु्बोध मोहिते जी नहीं हैं, कल्याण सिंह जी और सुरे्श प्र्भु जी हैं। इन स्ब लोगों ने तथा दोनों तरफ के माननी्य सद्स्यों ने इ्स बात का उल्लेख कि्या।

श्री रामदा्स आठ्वले (पंढरपुर) : आरपीआई ने इसका समर्थन कि्या है।

डा. रघुवं्श प्र्साद सिंह : यह ठीक बात है कि आठ्वले जी ने इसका समर्थन कि्या है। जो ने्शनल एम्प्ला्यमेंट गारंटी कानून है, यह साल में 100 दिन काम देने की गारंटी वाला कानून है। कल्याण सिंह जी हि्सा्ब लगाकर बता रहे थे कि साल में छः हजार रुपए एक परि्वार को मिलेंगे। आपको ज्ब मौका मिला था, आपने छः पै्से का भी इंतजाम नहीं कि्या, हमने तो छः हजार रुपए का कि्या है। लेकिन मेरे कहने का यह मतल्ब नहीं है कि सिर्फ इ्सी से उनकी जिंदगी चलेगी। 100 दिन काम की गारंटी तो है ही, उ्स्से भी अधिक उन्हें काम केन्द्र सरकार की वि्भिन्न योजनाओं में मिल सकता है। इस तरह की कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधान मंत्री ग्रामीण स्ड़क योजना में हम इ्स साल 4200 करो्ड़ रुपए खर्च करेंगे। आप तो क्भी 2200 करो्ड़ रुपए और क्भी 2500 करो्ड़ रुपए पर ही अटके हुए थे, ज्बकि हमने इ्स साल के बजट में 4200 करो्ड़ रुपए का प्रा्वधान कि्या है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI ANNASAHEB M.K. PATIL (ERANDOL): The figure is not correct. He should correct the figure. It was not Rs. 2,200 crore; it was not less than Rs. 6,000 crore. Please ask him to correct the figure.

डा. रघुवं्श प्र्साद सिंह : प्रधान मंत्री ग्रामीण स्ड़क योजना सन् 2000 में शुरू हुई थी। त्ब आपने यह कहा था कि 2500 करो्ड़ रुपए देंगे, 2300 करो्ड़ रुपए देंगे। लेकिन ज्ब हम लोगों का राज आ्या तो हमने 3500 करो्ड़ रुपए, 4000 करो्ड़ रुपए देने की बात कही।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Let him speak.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: It will not be recorded.

(Interruptions) * â€¦

MR. SPEAKER: You have made your point.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Kindly listen to the Minister's reply. After the hon. Minister's reply, if you have any clarifications, I will allow a few to raise them.

डा. रघुवं्श प्र्साद सिंह : आप क्या कहना चाहते हैं, एक-एक करके कहें। हमने 2005-2006 के बजट में 4200 करो्ड़ रुपए का प्रा्वधान कि्या है। भारत निर्माण की जो महत्वाकांक्षी योजना है, उ्समें भी और बढ़ोत्तरी होगी। चार व्ऱ्षों में 48,000 करो्ड़ रुपए खर्च होंगे। उ्समें हमारे बजट उप्बंध से 20,000 करो्ड़ रुपए दिए हैं, बाकी पै्से का प्र्बंध इ्स गैप को भरने के लिए हो रहा है। इ्सीलिए मैंने कहा कि कहां 2200

करो्ड़ रुपए, 2300 करो्ड़ रुपए और 2500 करो्ड़ रुपए, और कहां 4200 करो्ड़ रुपए। इसलिए लोग

---

* Not Recorded.

इसमें काम करेंगे।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी लोगों को काम मिलेगा। इसी तरह से इरीगेशन की जो योजना है, जो एक करोड़ हैक्टेयर जमीन में भारत निर्माण की, पोटेंशियलिटी सृजन करने की योजना है, उसमें भी लोगों को काम मिलेगा।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you trying to do? You are disturbing your own Minister.

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हिन्दुस्तान की आर्थिक नीति की रीढ़ कृाि रही है, खेतीबाड़ी रही है। इसलिए कृाि में भी मजदूरों की ज़रूरत होती है, अतः वे साल में कृाि क्षेत्र में भी काम करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की योजनाओं में भी काम करेंगे। केन्द्र सरकार की अन्य योजनाएं हैं, उनमें भी काम करेंगे। यह हमने एडीशनल 100 दिन काम की गारंटी की बात कही है। आप कहते हैं कि 365 दिन में 100 दिन काम करेंगे और बाकी के 265 दिन बैठे रहेंगे - ऐसी बात नहीं है कि बैठे रहेंगे। कृाि में काम करेंगे, अनाज उत्पादन में काम करेंगे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य योजनाओं में भी उन्हें काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसलिए 100 दिन के काम की गारंटी के अतिरिक्त भी उन्हें काम मिलता रहेगा, काम होता रहेगा।

हमने इस बिल में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत पुअर हाउसहोल्ड की बात कही थी। लेकिन लोगों ने कहा कि यह बीपीएल, एपीएल सबके लिए होनी चाहिए। पुअर और गैरपुअर को कैसे परिभाित करेंगे इसलिए हाउसहोल्ड के नाम पर झंझट पैदा हुआ, तो हमने एवरी हाउसहोल्ड कर दिया। इसीलिए इस सदन के साथ-साथ पूरे देश में जनता द्वारा इस बिल को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

हमारे हिंदुस्तान के सपूत प्रो. अमर्त्यसेन, जिनका विश्व में बहुत नाम है और जो विश्व में जाने-माने अर्थशास्त्री हैं, नोबल पुरस्कार विजेता हैं, उन्होंने कहा है कि यह एम्प्लाएमेंट गारंटी स्कीम हिदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सिद्ध होने जा रही है।

हमारे कुछ साथियों ने कहा कि यह योजना केवल सौ दिन के लिए ही क्यों लागू हो रही है, 365 दिनों के लिए लागू क्यों नहीं हो रही है। हम हिंदुस्तान की कृाि को बर्बाद होने नहीं देना चाहते हैं। कृाि में भी मजदूर चाहिए। जब 100 दिन के बाद उन्हें काम नहीं होगा, तो उस समय किसान और मजदूर कृाि तथा अन्य योजनाओं में काम करेंगे, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की योजनाओं में काम करेंगे। इसीलिए हमने केवल 100 दिन काम देने की गारंटी की है जिससे बाकी बचे समय में वे और योजनाओं में काम कर सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि परिवार में से केवल एक ही आदमी काम करेगा - ऐसा नहीं है, एक से दो, दो से तीन और तीन से चार आदमी, सब काम करेंगे लेकिन 100 दिन के काम की गारंटी परिवार को होगी। अगर एक परिवार में से दो आदमी काम करेंगे तो पचास-पचास दिन काम मिलेगा और अगर तीन आदमी एक परिवार के काम करेंगे तो 33-33 दिन के हिसाब से तीन आदमी काम करेंगे और उनके कार्ड बना दिये जाएंगे।

मान लीजिए कि हमने कोई 10 लाख रुप्ये की एक स्कीम बनाई या 5 लाख रुप्ये की स्कीम बनाई, उसमें अगर 100 दिन से ज़्यादा काम होगा तो उन्हें दिया जाएगा। अगर एक परिवार के लोग करेंगे तो उनमें बंट्वारा हो जाएगा।

जहां तक महिलाओं के काम करने का सवाल है, फूड फॉर वर्क में 34 प्रतिशत के करीब महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। हमने तीन-चौथाई महिलाओं को उसमें रखा है और इस स्कीम में भी महिलाओं को प्रीओरिटी दी जाएगी।

कुछ सदस्य कहते हैं कि परिवार में काम पाने के लिए झगड़ा हो जाएगा लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कोई झगड़ा नहीं होगा। हम गांव से आते हैं, हमें अनुभव है - "तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी" - गांव में परिवार की क्या व्यवस्था है, उसे हम लोग ज़्यादा जानते हैं, आप लोगों को गांव से क्या मतलब। इसलिए देश भर में लोग कहते हैं कि यह स्कीम बढ़िया है, इसे एक बार में लागू कीजिए। उनकी इस मांग को भी हम अच्छा मानते हैं, लेकिन एक बार में इसे कैसे लागू किया जाए। कुछ लोग कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है, लेकिन हम सब लोगों की वंदना करते हैं "वंदौ संत असंतम चरणा।" जो इसके खिलाफ हैं उनकी भी हम वंदना करते हैं और जो इसके साथ हैं उनकी भी वंदना करते हैं क्योंकि हमें गरीब आदमी का विधेयक पास करवाना है, निकालना है और इसे पास करवाकर गरीब आदमी का भला करना है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है कि सन् 2020 तक हिंदुस्तान को हम ऐसे स्थिति में ले जाना चाहते हैं जहां एक भी आदमी गरीबी की रेखा के नीचे नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान) हम 15 वाीं का ऐसा ठोस कार्यक्रम बनाएंगे जिससे हिंदुस्तान गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त हो सकेगा।

15.00 hrs.

कल्याण सिंह जी कह रहे थे कि चार वा में क्यों नहीं? आपने इसे पांच वा कर दिया है। हमने लिखा है कि पांच वाीं के अंदर, मतलब चार वा में भी, तीन वा में भी, दो वा में भी, एक वा में भी, यानी पांच वाीं के अंदर हम इसे करेंगे। पहले 150 जिलों के लिए फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। यदि हम चाहते तो केवल 150 जिलों को रखते। यह सरकार की दृटि, सरकार की इच्छाशक्ति, सरकार का इरादा, ग्रामोन्मुखी, समतामुखी और गरीबोन्मुखी इरादों को देखकर आप समझ सकते हैं कि 150 जिले नहीं, हमने कहा पचास जिले और इसमें लिए जाएं। हम इसे दो सौ जिलों से शुरू करेंगे, हिन्दुस्तान के कुल जिलों के एक तिहाई से शुरू करेंगे और यह पांच वाीं के अंदर होगा। इनको लगता है कि चार वा के बाद 15वी लोकसभा होगी, तो मैं कहना चाहता हूं कि 15 वीं लोकसभा में जो हम लोगों ने गरीबोन्मुखी, ग्रामोन्मुखी कदम उठाया है, यह जो बहुमत है, इससे ज़्यादा बहुमत से यूपीए गवर्नमेंट 15वीं लोकसभा में भी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमें गरीबी हटाना है, बेरोजगारी हटाना है। हमने इसके लिए पांच वा रखे हैं।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बोलते रहिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। यह पांच वा के अंदर हो सकता है, चार वा में भी हो सकता है। एक वा में लोगों ने कहा कि सावधानी बरतिए कहीं गड़बड़ी न हो जाए। हमने पिछले अनुभवों से भी सीखा है। लोग महाराट्र में गारंटी कानून की चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं कि महाराट्र में गारंटी कानून में पंचायत कहां हैं? यहां पर महाराट्र से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। महाराट्र में यह कितने वाीं से यह लागू है और लोग कहते हैं कि आप सीखिए। हमने सीखा है कि पंचायती राज वहां है ही नहीं, जबकि महाराट्र में पंचायती राज सशक्त है, अन्य राज्यों से कम नहीं है। महोदय, हम लोगों ने पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार दिए हैं, उनके चयन में पीपुल्स पार्टिशिपेशन किया है। असल में श्री कल्याण सिंह जी जैसे ग्राम सभा का अधिकार, सोशियोलॉजी का

पूर्ण अधिकार, सारी निगरानी करने का, उसको पारित करने का अधिकार उस दिन अमेंडमेंट देख नहीं सके,। प्रोग्रामिंग अफसर को असिस्ट करने के लिए रखा है, सहायता देने के लिए, चूंकि पंचायत में क्या है? ग्राम पंचायत में एक सचिव, एक ग्राम सेवक होते हैं, वे कितना करेंगे? लोग पंचायत-पंचायत कर रहे हैं। महोदय, इसलिए आज पंचायत को सक्षम बनाने की भी जरूरत है, इसलिए हमने पंचायत को प्रिंसिपल रोल दिया है, जो आप की अनुशंसा भी थी, आप के शब्द में फर्क है। आप की अनुशंसा सेंट्रल रोल की थी, जबकि हमने प्रिंसिपल रोल कहा है। इस सेंट्रल और प्रिंसिपल रोल में क्या फर्क है? यह आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए पूर्ण पंचायती राज का उसमें प्रावधान किया है।

कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि आपने दो सौ जिलों में किया, सभी जिलों में नहीं लागू किया। हम आप की इच्छा और उत्साह का समर्थन करते हैं। दो सौ जिलों में यह ठीक-ठीक चले और चार वर्षों से कम में ही यह हो जाए। इसका अनुभव कैसा आता है, इसीलिए थाह-थाह करके ठोस कदम उठाया जा रहा है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आप इसे शहरों में भी करिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी रूरल डेवलेपमेंट मिनिस्ट्री है, यहां शहर वाले लोग भी बैठे हुए हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे, शहरी लोगों के लिए भी हमारा कमिटमेंट है। रूरल एम्प्लायमेंट कानून को भी हम लागू करेंगे। गांवों में काम नहीं मिलता है तो लोग भागकर शहरों में आते हैं, हम गांवों से पलायन ही नहीं होने देंगे। शहरों में बेरोजगारी नहीं होगी। इसीलिए इसको लागू होने दिया जाए, फिर इसके बाद शहरों में देखेंगे कि बेरोजगारी की स्थिति देखेंगे और शहरी लोगों के लिए भी स्कीम लाएंगे। हम कोई भेदभाव करने वाले नहीं हैं। गावं का गरीब और शहर का गरीब हमारे लिए बराबर है, हम दोनों का ख्याल करेंगे। लोग कहते हैं कि अनस्किल्ड को काम देंगे तो स्किल्ड कहां जाएगा? महोदय, जो अनस्किल्ड हे, अकुशल है हम उसे काम देंगे, कुशल लोगों को तो काम करने के लिए लोग खोजते हैं, स्किल्ड आदमी मिलता नहीं है, इसलिए अनस्किल्ड बेरोजगार भटकता है। स्किल्ड की अभी भी पूछ है, आप स्किल्ड और अनस्किल्ड की चिन्ता मत कीजिए, दोनों को रोजगार मिलेगा।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पढ़े-लिखे लोगों का क्या होगा? आप तो केवल अनपढ़ का ख्याल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़े-लिखे लोगों के लिए सैकड़ों काम होते हैं, उनके लिए बढ़िया क्वालिटी वाले प्रशिक्षण का इंतजाम हमने किया है और डिमाण्ड के मुताबिक जिस एरिया में जिन चीजों की जरूरत है, उनको हम उसी तरह का प्रशिक्षण देते हैं। उत्पादक स्वरोजगार योजना का प्रबन्ध किया गया है। 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाएं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े लोग, गरीब आदमी, गांवों में बसने वाले बेरोजगार, सभी लोग आगे आएं। बैंक वालों का भी उसमें सहयोग मिला है। बेरोजगारी को केवल एक कानून से खत्म नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए हमारे पास दर्जनों योजनाएं हैं और हम सब तरह से इसमें लगेंगे, लेकिन इसमें सहयोग चाहिए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात सदन में कही गयी है। उसके बारे में हम कहना चाहते हैं कि यदि एक साल तक उनको काम नहीं मिला तो उनको कितना बेकारी भत्ता मिलेगा, उसका हिसाब हमने कैलकुलेट किया है कि जितना उनका 100 दिन मजदूरी करने से मिलती है,उतनी राशि साल भर काम नहीं मिलने पर बेकारी भत्ता के रूप में, मतलब काम नहीं दिया, तो उसको जुर्माना हम देंगे। उनको बैठाकर उतनी राशि हम अनएम्प्लायमेंट एलाउंस के रूप में देंगे। बीच में यदि उन्हें काम मिल गया, तो एक महीने काम नहीं मिला, 15 दिन के बाद तो जो राशि का प्रबन्ध हुआ है, वह बेरोजगारी भत्ता के रूप में उन्हें दी जाएगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आपने इसका एक हिस्सा राज्य सरकार पर डाल दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के बिना कैसे यह काम होगा? राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, पंचायती राज, हम, आप, सदन - सभी के सहयोग से यह सब काम होना है। यदि राज्य सरकार यह कहे कि यह हमारी योजना नहीं है, केन्द्र की योजना है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो 40 फीसदी उनका मैटेरियल कंपोनेंट है, उसका 25 प्रतिशत, अर्थात सम्पूर्ण योजना का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा और राज्य सरकार की भागीदारी से उनको भी इस योजना में अपनापन लगेगा। इसलिए राज्य सरकार की भागीदारी की व्यवस्था हमने इसमें की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने राज्य सरकारों से विचार नहीं किया है। मैं उनको बताना चाहूँगी की सचिव स्तर की दो बैठकें हुई थीं। सभी राज्य सरकारों के पास बिल की कॉपी भेजी गयी है, उनके कमेन्ट्स और सुझाव भी आएं हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि राज्यय सरकारों को विश्वास में लिया गया है लेकिन इसमें मत-विमत हो सकता है1 किसी राज्य सरकार ने कहा कि हमे भार मत दीजिए, जैसे एसजीआरवाई योजना है, हम तो इसमें उनको 10 प्रतिशत की जिम्मेदारी दे रहे हैं, एसजीआरवाई में 25 प्रतिशत राज्य सरकारों का हिस्सा है और हम 75 देते हैं। इन्दिरा आवास योजना में 75 प्रतिशत हम देते हैं, 25 प्रतिशत राज्य सरकारों का हिस्सा है। इसमें तो केवल 10 प्रतिशत दिया गया है, तो राज्य सरकारों को इसे उत्साहपूर्वक स्वीकृत करना चाहिए और अपनी भागीदारी करनी चाहिए। यदि हम कहें कि के वल केन्द्र सरकार बेकारी को दूर कर सकती है तो यह राज्य सरकारों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। राज्य सरकारों के सहयोग के बिना हम इस योजना को सफल नहीं मानते हैं। राज्य सरकारों को सहयोग, पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग, आप सभी माननीय सदस्यों का सहयोग, देश भर के चुने हुए बुद्धिजीवी, NGOs, समाजसेवी - सभी लोगों का इसमें सहयोग चाहिए।

माननीय श्रीमती सोनिया जी ने बीस तारीख को अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, निर्देश दिया है, आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता ग्रामीण विकास की केंद्र सरकार की योजनाओं में लग जाओ। गांव में फैल जाएं और इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। â€¦ (व्यवधान) सभी पार्टी के माननीय नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ग्रामीण ि वकास की योजना अथवा केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन सभी के अच्छे कार्यान्वयन, निगरानी और पार्टीसिपेशन के लिए और उसे गरीबों तक ठीक ढंग से पहुंचाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करें। हम प्रार्थना करते हैं, सभी माननीय राजनीतितक दलों के सभी माननीय नेताओं से कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्प्रेरित करें, उनको कार्य करने में, उनको जानकारी देने में, उनको प्रशिक्षित करने में। हमने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को कहा है कि सभी को प्रशिक्षण दिया जाए, 20 लाख चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाए। एक-एक स्कीम पर 9-9 व्यक्तियों की लोकल विजिलैंस कमेटी होगी। हमने स्थानीय लाभार्थियों की कमेटी बनाने के लिए कहा है। उन सभी को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए। जनता की भागीदारी होगी, स्टेट विजिलैंस, एकाउंटेबिल्टी ऐंड ट्रांसपैरेंसी होगी जिससे सब लोग जानें, देखें, समझें। हमें पुराने समय का अनुभव हुआ है। लोग कहते हैं कि गांवों में पैसा पहुंचता नहीं है। एक लॉबी चलती है जो चाहती है कि गांव में पैसा न जाए। अनप्रोडक्टिव खर्चा हो रहा है। कहा गया है इतने हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा। गरीब के नाम पर यह सारा हिसाब हो जाता है। अगर मैं हिसाब बताऊंगा तो भंडाफोड़ कर दूंगा। मैं भंडाफोड़ करने वाला हूं। 8 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी कहां है? गरीब का हिस्सा कहां गया? डेढ़ लाख नॉन परफॉरमिंग ऐसेट्स कहां गए? गरीब का हिस्सा कहां है? गरीब नॉन परफॉरमिग ऐसेट्स नहीं बनाता है। 98 फीसदी रिकवरी है। सैल्फ हैल्प ग्रुप में बैंकों की रिकवरी 98 फीसदी है। गरीब आदमी का उसमें हिस्सा है।

श्री लाल मुनी चौबे : आप भंडाफोड़ करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं वही भंडाफोड़ कर रहा हूं। कहा गया कि परिवार की परिभाषा क्या होगी? न्यूक्लियर फैमिली, सबसे छोटी जितनी होगी, उतनी लाभदायक होगी। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता जाहिर की है और जो सुझाव दिए हैं, उसने मेरा उत्साहवर्द्धन किया है। माननीय सदस्यों ने मुझे मजबूती दी है। मैंने सभी के सुझाव दर्ज किए हैं। संशोधनों में जितने सुझाव आ सकते थे, वे लिए गए। हम गाइडलाइन्स बनाएंगे। जो रूल बनाएंगे, उनमें सभी महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल करेंगे और कार्यान्वयन में आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। परिवार की परिभाषा उस तरह से की जाएगी जिससे गरीबों को दिक्कत न हो।

देश में पानी का संकट है। अध्यक्ष महोदय, आप इसके बारे में जानते हैं। इसी को देखते हुए आपने एक कमेटी का गठन किया है। पानी के आने वाले संकट पर दूर दृटि से सोचना पड़ेगा। दुनिया में दो तिहाई पानी और एक तिहाई जमीन है। हिन्दुस्तान की जमीन 2.4 परसैंट, आबादी 16 परसैंट है। 97 परसैंट पानी पीने लायक नहीं, तीन फीसदी पानी में, दो फीसदी पानी सरफेज पर, एक फीसदी जमीन में, कुछ बर्फ जमा है। कहीं सूखा, हर साल सूखा और ज्यादातर सूखा पड़ता है जिससे पानी का ग्राउंड लैवल नीचे जा रहा है। इसलिए वाटर कजर्वेशन, रेन वाटर हार्वैस्टिंग, वाटर शैड मैनेजमैंट, ड्राउट प्रूफिंग, फ्लड प्रूफिंग सोशल फॉरैस्ट्री और लैंड डे वलपमैंट को प्रॉयरिटी में रखा है। कहा गया है कि इन सभी को किया जाए।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कई राज्यों में अलग-अलग ढंग से काम होता है। हमने कहा है कि राज्य सरकारों के परामर्श से दूसरी नई योजनाओं को और नए कामों को जोड़ा जा सकता है। हमने बहुत फ्लैक्सिबिल्टी रखी है जिससे केन्द्र राज्य मिल कर इन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें। मैंने पंचायती राज की भूमिका के बारे में बता दिया है। उससे सभी लोग सहमत और संतुट हैं। पंचायती राज संस्थान, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा से लेकर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, सभी का पूरा इन्वॉल्वमैंट, पार्टिसिपेशन उनका प्रिंसिपल रोल है। कहते हैं कि भ्रटाचार हो सकता है, गड़बड़ी हो सकती है और उसके लिए पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य अखबार पढ़ कर बता रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा कि महाराट्र के कोल्हापुर में गड़बड़ हुई। इतना बड़ा देश है। कहीं भी हेरा-फेरी हो सकती है। मैं यह दावा नहीं करता कि कहीं कोई हेरा-फेरी की गुंजाइश नहीं है। जिले में कैसे लोग हैं, कैसे अधिकारी हैं, चुने हुए लोग कैसे हैं, योजना कैसे लागू हो रही है, यह देखने की जरूरत है। कहीं लूपहोल्स और कहीं त्रुटियों का शिकंजा कसा रहता है। यहां र्हाद मेहता और केतन पारीख जी, 101 लोग हैं। इसलिए उसमें पूरी सावधानी बरती जायेगी और आगे भी बरती जाए, जिससे कि कोई गड़बड़ी न हो। माननीय सदस्यों के सहयोग का हम स्वागत करेंगे कि कैसे-कैसे हम सब कुछ ठीक करें। इसलिए निगरानी रखने की और सम्पत्ति सृजन, यह नीति है, 60 फीसदी लेबर कम्पोनैन्ट मजदूरी में देंगे और केवल मजदूरी में देने से ही काम नहीं चलेगा, स्थायी सम्पत्ति का सृजन इन्फ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का निर्माण भी उससे होगा, 40 फीसदी मैटीरियल कम्पोनैन्ट में इसलिए खर्चा दिया जा रहा है। महाराट्र के अनुभव से हमने पूरा लाभ उठाया है और हम सब अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए यह जो ऐतिहासिक विधेयक सदन के सामने आया है, सब लोगों ने इसे उत्साहपूर्वक समर्थन देकर हमें सुझाव दिये, सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया और चेतावनी भी दीं, उन सभी के हम कायल हैं। हमने उन सभी के सुझावों को ग्रहण किया है और सभी सुझावों का रूल्स को अमल करने में हम स्वागत करेंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण विधेयक के बारे में जिन-जिन माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये हैं, उन सभी सदस्यों का नाम लेकर जवाब देना कठिन है। लेकिन 17 सदस्यों द्वारा जो-जो सवाल उठाये गये हैं, उन सभी के नाम हमारे सामने हैं। उनमें सर्वश्री मोहन सिंह जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, सुबोध मोहिते जी, इलियास आजमी जी, तथागत सत्पथी, सुधाकर रेड्डी, बची सिंह रावत जी आदि के नाम हमने दर्ज किये हैं। बाकी सभी के नाम लेना कठिन है। लेकिन इन सभी को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इन सभी लोगों ने पूरी तैयारी के साथ इसमें भाग लिया। श्री अर्जुन चरण सेठी जी, डा.चिंतामोहन, ड़ा.कृणन, श्री निखिलानन्द सर, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री वीर सिंह महतो, श्री जोवाकिम बखला, श्री एम.रामदास, जो अर्थशास्त्री हैं, उनका भी हम इसमें सहयोग लेंगे। हमने जो 150 जिलों में फूड फार वर्क परियोजना लागू की है, उसमें पर्सपैक्टिव प्लान पांच र्वाों का बनाना है। कृपा करके माननीय सदस्य देखें कि दस लाख रुपये एक्सपर्ट का इस्तेमाल करके पर्सपैक्टिव प्लान की तैयारी करने का उसमें प्रावधान है। हमने सभी गाइडलाइंस भेज दी हैं। इसलिए अर्थशास्त्रियों, विशेाज्ञों, तकनीशियनों आदि का इस्तेमाल करने का जो सुझाव है, हम उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और सभी सुझावों को मानेंगे। इसलिए सभी का आभार प्रकट करते हुए और सभी पार्टियों के नेताओं और सभी माननीय सदस्यों को जिंदाबाद बोलते हुए मैं इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं -

"यह देख रोजगार गारंटी कानून आया, बेकारी, गरीबी मिट जायेगी,

मानवता की काली बिन्दी छार-छार हो जायेगी।"

रोजगार गारंटी कानून जिंदाबाद। आप सभी से प्रार्थना है कि सर्वसम्मति से इस ऐतिहासिक कानून को पारित किया जाए, जिससे गरीबों के मन में उत्साह बढ़े, उन्हें रोजगार मिले, गांवों से पलायन रुके और हिन्दुस्तान र्वा 2020 में दुनिया की अगली पंक्ति के देशों में चला जाए, यही हमारा सपना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. SPEAKER: Hon. Members, have a little patience. I have committed that I will allow three to four Members to seek some clarifications. Let us give some rest to the Minister.

SHRI VIJAYENDRA PAL SINGH (BHILWARA): Sir, there is no doubt that we all welcome the Employment Guarantee Scheme but I have a few questions. The Minister has said that most of the rural development schemes will converge into this Employment Guarantee Scheme. It has not been specified as to what will happen to the districts which are not selected for the Scheme. He has not been able to really clarify this. He has also said that there is no limitation of the funds availability. If that is the situation and if the schemes are not going to be stopped in those Districts which are taken up, then why do they not take up more districts? He has not been able to specify it.

Secondly, the criterion for selection of districts has also not been clarified. How are they going to be increased? In the sense that if the districts would have to be selected from all States, would the criterion for selection of districts be apolitical? It is because there is an apprehension that selection of districts would be a political decision. Would the hon. Minister be kind enough to clarify these two points?

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धंधुका) : अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके ही सबको बुलाएंगे। एक साथ नहीं बुला सकते। रतिलाल जी आप बैठ जाइए।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री रघुवंश जी ने आम सभा का भााण बिल के नाते किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम ज्यादा तादाद में यहां बढ़ेंगे, तो इसका सीधा संबंध वोट के साथ है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। अभी-अभी उन्होंने सीरियल नं. 7(4) संशोधन सदन में बांटा है। हमारे देश में कई जिले हैं जहां मिनिमम वेजेज़ 60 रुपये से ज्यादा है। कहीं 100 रुपये है और कहीं 134 रुपये भी है। उन्होंने जो संशोधन सर्कुलेट किया है, उसकी अंग्रेज़ी मैं समझना चाहता हूं। इसमें लिखा हैः

> "Provided further that the wage rates specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than Rs. 60 per day."

मैं मंत्री जी से स्पटीकरण चाहता हूं कि इससे ऊपर जिनको पैसा मिलता है, क्या वह उनको मिलता रहेगा? 60 रुपये से कम नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जिनको जो भी पैसे मिलते हैं, 100 रुपये या 110 रुपये मिलते हैं, वह उनको मिलने चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इतना अच्छा भााण किया है मगर 58 सालों से अनेक योजनाएं आई हैं। मंत्री जी ने कबीर का दोहा कहा कि - 'सब कहते कागद

की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी,' मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपने जो पढ़ा, वह सरकारी अधिकारियों का बनाया हुआ बिल है मगर आँखों ने उल्टा देखा है। योजनाओं का जो इंप्लीमैंटेशन होता है, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि एक रुपया सरकार की तिजोरी में से निकलता है तो उसमें से सिर्फ 15 पैसे ही गरीबों के घर तक पहुंचते हैं। इसलिए आपको इसकी भी गारंटी देनी होगी कि जो रुपया सरकार की तिजोरी से निकले, वह गरीब आदमी तक पहुंचे, न कि 85 पैसे बीच में से कोई ले जाए। इसलिए ये दो पॉइंट्स हैं कि सुपरवाइज़री अथॉरिटी कौन होगी और अकाउंटेबिलिटी किस पर होगी। आपने मोटे तौर पर बता दिया कि पंचायत होगी, ब्लाक पंचायत होगी, मगर केन्द्र राज्य और पंचायत, इन तीनों का संकलन करने वाली अथॉरिटी किसकी होगी? Who will be held responsible if this scheme is not properly implemented?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये। एक क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। You cannot make a speech on this after having a debate for 12 to 13 hours on this subject.

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बहुत सारी पंक्तियों में अपनी बात रखी है। मैं चार पंक्तियों में अपनी बात रखना चाहता हूं :

"गरीबी हटेगी, गरीबी हटेगी, यह सुनकर कान थके,

आपका भाषण सुनकर अब तो लोग थके।

करना हो तो कुछ काम करो,

करना हो तो कुछ करके दिखाओ,

लोक सभा में मगर के आँसू मत बहाओ,

माननीय मंत्री जी अब तो गरीबों को मूर्ख न बनाओ।

गरीब समझ गया है कौन अपना और कौन पराया,

पचास साल तक गरीबों का कभी न घर बसाया।"

क्या उनका घर आप बसाएंगे, यही मुझे पूछना है। â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आपको क्लैरिफिकेशन के लिए बोला था। आप बहुत अच्छे कवि हैं, मगर यह कविता का समय नहीं है।

श्री तथागत सत्पथी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए। यह सही नहीं है। सब ठीक ढंग से चल रहा है। आप कोई एक क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। दोबारा स्पीच नहीं देनी है। आप लोग बोल चुके हैं।

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, I have a specific question. Orissa is a less populated State. Out of 30 districts in the State, only 18 districts have been selected for the `Food for Work' programme. I would like to know from the hon. Minister whether in order to uplift the State of Orissa he would consider it necessary to bring it at par with the rest of the country.

Will the Minister include the whole State, that is all 30 districts of the State of Orissa, in this programme?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक तो मंत्री जी का बयान बिहार के अखबारों में आया है कि पंचायती राज व्यवस्था में निचले स्तर पर गड़बड़ी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जब मंत्री जी के मन में यह शंका पहले से ही है कि निचले स्तर पर गड़बड़ी हो रही है, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या किया गया है?

श्री हरिन पाठक जी ने कहा कि हम लोगों के यहां मजदूरों को सौ रुपया या 110 रुपया मजदूरी मिलती है। कई जगहों पर अगर यह कानून बन जाएगा तो जिसको 110 रुपया मजदूरी मिल रही है, वहां काम कराने वाला उसे कम मजदूरी देने के लिए कहेगा। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्यवाही करेंगे और कौन सा कानून लागू होगा? इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि जो मिल रहा है उससे ज्यादा मजदूरी मिले, उससे कम मजदूरी न मिले। इन दो बिंदुओं पर कृपया माननीय मंत्री जी प्रकाश डालें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : श्री विजयेन्द्र पाल सिंह ने सवाल उठाया कि किस आधार पर 150 जिले फूड फार वर्क प्रोग्राम के लिए चुने गए हैं। इसके लिए तीन पैरामीटर निश्चित किए गए हैं - 1. एससी और एसटी की आबादी। 2. वहां पर वेजिज क्या हैं? 3. वहां पर प्रोडिक्टिविटी क्या है? इन तीन पैरामीटर्स के आधार पर राज्यवार जिलों को चुना गया है। माननीय सदस्य संबंधित सूची देख सकते हैं। इसमें 50 जिलों को और शामिल किया जाना है। इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। उड़ीसा के सबसे ज्यादा 18 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों का चयन एक सुनिश्चित क्राइटेरिया पर आधारित है। इसमें कोई राजनीति या भेदभाव नहीं हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी योजना आयोग को दी गई है। योजना आयोग एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर इन जिलों का चयन करेगा। अभी 50 एडिशनल जिले भी चुने जाएंगे।

श्री हरिन पाठक जी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। न्यूनतम मजदूरी साठ रूपये कर दी गई है। बहुत गहन छानबीन, विचार-विमर्श और राय के बाद यह तय हुआ कि जो अंतिम संशोधन विधेयक आया है, उसमें देश के विभिन्न राज्यों में जो मिनीमम वेजिज़ वहां पर लागू है, उससे कम नहीं दिया जाएगा। वहां केन्द्र सरकार यदि जरूरत महसूस करती है तो वह भी वेजिज़ दे सकती है, जो कि साठ रूपये से कम नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: It cannot be a running commentary.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Sorry, this is not permitted. You do not reply to him.

...(*Interruptions*)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : इसके लिए आप सब सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता है। श्री रघुनाथ झा ने सवाल उठाया था कि डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी को इसके इम्प्लीमेंटेशन, देखभाल और निगरानी करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। जो माननीय सदस्य की अध्यक्षता वाली समिति है, उसे पूर्ण अधिकार प्रदत्त किए गए हैं।

श्री रतिलाल वर्मा ने कविता के जरिए सवाल उठाया था। मेरा जवाब इस प्रकार है - 'अगर तुम साथ देने का वायदा करो तो मैं यूं ही मस्त नगमे लूटाता रहूं।'

श्री तथागत सत्पथी ने उड़ीसा के जिलों का सवाल उठाया है। जिन अतिरिक्त पचास जिलों को इस स्कीम के तहत शामिल किया जाना है, उनमें उड़ीसा के एससी, एसटी जिलों को भी शामिल किया जाएगा। उड़ीसा के पहले ही 18 जिले इसमें शामिल किए गए हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह जी ने पंचायती राज के बारे में पूछा है। पंचायती राज की भागीदारी सरजमीं तक रहेगी। माननीय सदस्यों की देखरेख में, निगरानी में, सोशल ऑडिट और ग्राम सभा की भागीदारी से यह काम किया जाएगा। जब मामला ग्राम सभा में चला जाए और ग्राम सभा की बैठक होने लगे तो सभी सदस्यों की देखरेख में सारी गड़बड़ी न्यूनतम और कम बल्कि बिलकुल समाप्त हो जाएगी। सभी स्पटीकरण के बाद सभी सदस्यों से प्रार्थना है कि इस बिल का समर्थन करें।

MR. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill to provide for the enhancement of livelihood security of the poor households in rural areas of the country by providing at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Dr. Raghuvansh Prasad Singh.

Clause 2 Definition

Amendments made:

Page 2, line 16, *for* "Panchayat Samiti,", *substitute* "Panchayat at intermediate level," (4)

Page 2, *omit* lines 26 to 29 (5)

Page 2, line 30, *for* "(*l*)", *substitute* "(*k*)" (6)

Page 2, line 32, *for* "(*m*)", *substitute* "(*l*)" (7)

Page 2, line 33, *for* "(*n*)", *substitute* "(*m*)" (8)

Page 2, line 34, *omit* "in a Block" (9)

Page 2, line 35, *for* "(*o*)", *substitute* "(*n*)" (10)

Page 2, line 37, *for* "(*p*)", *substitute* "(*o*)" (11)

Page 2, line 40, *for* "(*q*)", *substitute* "(*p*)" (12)

Page 2, line 42, *for* "(*r*)", *substitute* "(*q*)" (13)

Page 2, line 44, *for* "(*s*)", *substitute* "(*r*)" (14)

Page 2, line 46, *for* "(*t*)", *substitute* "(*s*)" (15)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: Shri Swain, are you pressing the amendment no. 54?

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): As the hon. Member has agreed to that, I am not moving.

MR. SPEAKER: We should appreciate it that after hearing the hon. Minister he has not pressed his amendment.

The question is:

"That clause 2, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2, as amended, was added to the Bill.

Clause 3 <u>Guarantee of rural employment</u>

<u>to poor households</u>

Amendments made:

Page 3, line 4, *omit* **"and for such period"** (16)

Page 3, line 5, *for* **"every poor household"**, *substitute* **"every household"**

(17)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: Mr. Swain, are you pressing your amendment nos. 55, 56 & 57?

SHRI KHARABELA SWAIN : No, Sir.

MR. SPEAKER: Amendment No. 64, Prof. Malhotra, are you moving? Do you want to speak?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, I am moving my amendment. This is about the Central Government which shall extend the scheme to the whole of India within a period of two years. अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने विधेयक में बताया है कि इस वर्ष इस योजना को 150 जिलों में शुरू करेंगे तथा 50 जिले इसमें और जोड़े जाएंगे और चार या पांच साल में इस योजना को ये पूरे देश में लागू किया जाएगा। मेरा मानना है कि इसे दो साल में पूरे देश में लागू होना चाहिए।

Sir, I beg to move:

Page 3, line 11, --

Omit "or in any case not later than a fortnight" (64)

MR. SPEAKER: I shall now put amendment no. 64 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

Clause 4 <u>Employment Guarantee Schemes</u>

<u>for rural areas</u>

MR. SPEAKER: Mr. Prabhu, are you pressing your amendment no. 70?

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): No, Sir. I just want a clarification from the hon. Minister. It is rather not a clarification but an amplification.

Sir, there are certain schemes ...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: As you are not moving it, therefore I am allowing it.

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Under Rule 86, I am doing it. There are sequences of events which are not mentioned. Only the scope of work is mentioned. The hon. Prime Minister has just mentioned only a few days ago that a huge pilferage is taking place in the delivery system. This is one scheme which is going to be of such a magnitude that is unprecedented. Therefore, my request is that if the hon. Minister can also specify the sequence of events leading to the allocation of work including the Detailed Project Report and things like that, which I have mentioned. If you feel that he will appropriately take it up, I do not move the amendments.

MR. SPEAKER: You keep in mind his suggestion.

The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 6 − <u>Wage Rate</u>

MR. SPEAKER: Prof. Malhotra, are you pressing for amendment no. 65?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:

Page 3, -- *for* line 43 to 47, *substitute* --

> " (2) The minimum wage rate is fixed at seventy-five rupees per day and the Central Government shall revise the minimum wage rate periodically considering the variations in the consumer price index. "

(65)

अभी इन्होंने इसका ज़िक्र किया है। एक एमेंडमेंट इन्होंने अभी दी है, जिसमें यह कहा है कि 60 रुपये मिनिमम होगा, पर उसमें हमने जो एमेंडमेंट दी थी कि जो वहां पर इस समय 134 रुपये मिल रहा है, कहीं वह 130 रुपये है, उससे कम नहीं होगा।

MR. SPEAKER: That will come later.

I shall now put Amendment No.65 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: Shri Suresh Prabhakar Prabhu, are you moving Amendment No.71?

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU (RAJAPUR): No, Sir. I am not moving the amendment.

MR. SPEAKER: Hon. Minister, are you moving Amendment No.74? You have to move that.

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH: I beg to move:

Page 3, *after* line 43, *insert-*

> "Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day. " (74)

MR. SPEAKER: Prof. Malhotra, are you moving this amendment? You have an amendment on this amendment. Ordinarily, it is not allowed. But I have allowed it.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:

Page 3,--

after line 43, *insert*--

"Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than the minimum wages prevalent in that State. "

हमने सिर्फ यह कहा है कि अगर वहां पर इस समय अगर 134 रुपये मिल रहा है तो उससे कम नहीं होना चाहिए। Whatever be the minimum wage , उससे कम नहीं होगा।

MR. SPEAKER: It has already been covered by your earlier amendment.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : That was about Rs.75. I said that whatever is being given to them at the moment, whatever be the minimum wages, it should not be less than that; it should be accepted.

SHRI L.K. ADVANI (GANDHINAGAR): In his speech, the hon. Minister has already said that that would be so. Why do you not accept this?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : He says that it is only Rs.60/-

MR. SPEAKER: I shall now put the Amendment to Amendment No. 74 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

Page 3, *after* line 43, *insert*-

"Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day. " (74)

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

Clause 7 − Payment of Unemployment Allowance

Amendment made:

"Page 4, line 28, after "local authority", insert "(including the Panchayats at the district, intermediate or village level) ". (18)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: Shri Kharabela Swain, are you moving the Amendment Nos. 58, 59, 60, 61 and 62?

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): No, Sir. I am not moving my amendments.

MR. SPEAKER: We should appreciate the cooperative attitude. I am appreciating it from the Chair. This is the way that we should cooperate with each other. I appreciate it.

The question is:

"That clause 7, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7, as amended, was added to the Bill.

Clause 8 − Non-disbursement of unemployment allowance in certain circumstances

MR. SPEAKER: Prof. Vijay Kumar Malhotra, are you moving the amendment number 66?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:

Page 4, lines 43 and 44,--

for "as expeditiously as possible."

Substitute,--

"within a maximum period of ten days." (66)

Sir, they have mentioned it "as expeditiously as possible." I have said "within a maximum period of ten days."

MR. SPEAKER: Mr. Minister, are you accepting his amendment?

DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH: No, Sir.

MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No.66 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to the vote of the House

The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Clause 9 − Disentitlement to receive Unemployment allowance in certain circumstances

MR. SPEAKER: Prof. Vijay Kumar Malhotra, are you moving the amendment number 67?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : I beg to move:

Page 5, lines 6 and 7,--

for "for a period of three months"

Substitute,--

"for the period he/she does not report for work" (67)

Sir, they have said "for a period of three months." I have mentioned that it should be substituted for the period he/she does not report for work. उतने दिन को छोड़कर, इन्होंने तीन महीने अगर काम नहीं होता है, तो किया है।

MR. SPEAKER: I shall now put Amendment No. 67 moved by Prof. Vijay Kumar Malhotra to vote.

The amendment was put and negatived.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, the Standing Committee unanimously suggested all these amendments. Now, they have rejected and the Minister says that they have honoured the recommendations of the Standing Committee.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 9 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 9 was added to the Bill.

Clause 10 − <u>Central Employment Guarantee Council</u>

Amendment made:

Page 5, line 32, *after* "the Scheduled Tribes", *insert*", the Other Backward Classes" (19)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 10, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10, as amended, was added to the Bill.

Clause 11 − <u>Functions and duties of Central Council</u>

MR. SPEAKER: Shri Suresh Prabhu, are you moving Amendment No. 72?

SHRI SURESH PRABHAKAR PRABHU : Sir, I am not moving Amendment No. 72.

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 − <u>State Employment Guarantee Council</u>

Amendment made:

Page 6, line 23, *after* "the Scheduled Tribes", *insert*", the Other Backward Classes" (20)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 12, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 12, as amended, was added to the Bill.

Clause 13 − Standing Committee at

district level

Amendment made:

Page 7, *for lines* 1 to 17, *substitute* −

Principal authorities for planning and implementation of Schemes.

"***13.*** *(1)* The Panchayats at district, intermediate and village levels shall be the principal authorities for planning and implementation of the Schemes made under this Act.

1. The functions of the Panchayats at the district level shall be −

   a. to finalize and approve blockwise shelf of projects to be taken up under a programme under the Scheme;

   b. to supervise and monitor the projects taken up at the Block level and district level; and

   c. to carry out such other functions as may be assigned to it by the State Council, from time to time.

1. The functions of the Panchayat at intermediate level shall be −

   a. to approve the Block level Plan for forwarding it to the district Panchayat at the district level for final approval;

   b. to supervise and monitor the projects taken up at the Gram Panchayat and Block level; and

   c. to carry out such other functions as my be assigned to it by the State Council, from time to time.

1. The District Programme Coordinator shall assist the Panchayat at the district level in discharging its functions under this Act and any Scheme made thereunder." (21)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 13, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 13, as amended, was added to the Bill.

Clause 14 − District Programme Coordinator

Amendments made:

Page 7, *for* lines 26 and 27, *substitute* −

"(a) to assist the district Panchayat in discharging its functions under this Act and any scheme made thereunder. " (22)

Page 7, line 30, *for* "Standing Committee", *substitute* "Panchayat at district level" (23)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 14, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clause 15 − Programme Officer

Amendments made:

Page 8, *for* lines 4 to 6, *substitute* −

Programme "15 *(1)* At every Panchayat at intermediate level, the State

Officer. Government shall appoint a person who is not below the rank of Block Development Officer with such qualifications and experience as may be determined by the State Government as Programme Officer at the Panchayat at intermediate level.

(2) The Programme Officer shall assist the Panchayat at intermediate level in discharging its functions under this Act and any Scheme made thereunder." (24)

Page 8, line 7, *for* "*(2)*", *substitute "(3)"* (25)

Page 8, line 10, *for* "*(3)*", *substitute "(4)"* (26)

Page 8, line 13, *for* "*(4)*", *substitute "(5)"* (27)

Page 8, line 17, *for* "eligible poor households", *substitute "*eligible households*"* (28)

Page 8, line 27, *for* "*(5)*", *substitute "(6)"* (29)

Page 8, line 29, *for* "*(6)*", *substitute "(7)"* (30)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 15, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 15, as amended, was added to the Bill.

Clause 16 − Responsibilities of the Gram Panchayats

Amendment made:

Page 8, line 43, *for* "may allot", *substitute "*shall allot*"* (31)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 16, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 16, as amended, was added to the Bill.

Clauses 17 to 26 were added to the Bill.

Clause 27 -

-**Power of Central Government to**

give directions

Amendment made:

Page 11, line 5, for "**27**", *substitute "***27.***(1)"* (32)

Page 11, *after* line 6, *insert-*

"*(2)* Without prejudice to the provisions of sub-section *(1)*, the Central Government may, on receipt of any complaint regarding the issue or improper utilisation of funds granted under this Act in respect of any Scheme if *prime facie* satisfied that there is a case, cause an investigation into the complaint made by any agency designated by it and if necessary, order stoppage of release of funds to the Scheme and institute appropriate remedial measures for its proper implementation within a reasonable period of time." (33)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 27, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 27, as amended, was added to the Bill.

Clauses 28 to 31 were added to the Bill.

Clause 32 − Power of State Government

to make rules

Amendments made:

Page 12, *omit* lines 9 and 10 (34)

Page 12, line 11, *for "(e)", substitute "(d)"* (35)

Page 12, line 13, *for "(f)", substitute "(e)"* (36)

Page 12, line 15, *for "(g)", substitute "(f)"* (37)

Page 12, line 17, *for "(h)", substitute "(g)"* (38)

Page 12, line 19, *for "(i)", substitute "(h)"* (39)

Page 12, line 21, *for "(j)", substitute "(i)"* (40)

Page 12, line 23, *for "(k)", substitute "(j)"* (41)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 32, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 32, as amended, was added to the Bill.

Clauses 33 and 34 were added to the Bill.

Schedule I

Amendments made:

Page 13, line 28, *omit* "diligently" (42)

Page 13, line 9, *after* "and Scheduled Tribes", *insert* −

"or to land of beneficiaries of land reforms or that of the beneficiaries under the Indira Awas Yojana of the Government of India." (49)

Page 13, line 14, *after* "by the Central Government", *insert* −

"in consultation with the State Government." (50)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That Schedule I, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Schedule I, as amended, was added to the Bill.

Schedule II

Amendments made:

Page 14, line 20, *for* "Gram Panchayat", *substitute* "Gram Panchayat at the village level (hereafter in this Schedule refereed to as the Gram Panchayat)"

(43)

Page 15, line 3, *for* "Gram Panchayat Office", *substitute* "Panchayats at the district, intermediate or village level" (44)

Page 16, line 7, *for* "ten thousand rupees", *substitute* "twenty-five thousand rupees"

(45)

Page 16, *for* lines 13 to 15, *substitute* −

"28. In case the number of children below the age of six years accompanying the women working at any site are five or more, provisions shall be made to depute one of such women worker to look after such children."

(46)

Page 14, line 38, *after* "whichever is later", *insert* −

"Provided that priority shall be given to women in such a way that at least one-third of the beneficiaries shall be women who have registered and requested for work under this Act."

(51)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That Schedule II, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Schedule II, as amended, was added to the Bill.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, there is an Amendment to the Second Schedule for which I have given a notice.

MR. SPEAKER: Your Amendment No. 69 is the same as 45.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : No Sir. It is not the same. It should be Rs. 25,000 in place of Rs. 10,000. This is my Amendment.

MR. SPEAKER: It has been carried out in the Government Amendment. It will be on record that you had also given a notice for similar Amendment.

Clause 1 − <u>Short title, extent</u>

<u>and commencement</u>

Amendments made:

Page 1, line 4 *for* "2004", *substitute* "2005" (3)

Page 1, *after* line 10, *insert* −

> "Provided that this Act shall be applicable to the whole of the territory to which it extends within a period of five years from the date of enactment of this Act." (47)

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh)

MR. SPEAKER: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: Prof. Malhotra, you have an amendment to clause 1. Are you moving it?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it is the same.

MR. SPEAKER: So, you are not moving it.

The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill.'

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

<u>Enacting Formula</u>

<u>संशोधन किया गयाः</u>

> "पृठ 1, पंक्ति 1, "पचपन्वें" के स्थान पर "छप्पन्वें" प्रतिस्थापित किया
>
> जाए। " (2)
>
> (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

MR. SPEAKER: The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

Long Title of the Bill

संशोधन किया गया:

"पृठ 1, विधेयक के पूरे नाम में, "निर्धन गृहस्थियों" के स्थान पर "गृहस्थियों" प्रतिस्थापित किया जाये। " (1)

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह)

MR. SPEAKER: Shri Kharabela Swain has an amendment to the Long Title. Mr. Swain, are you pressing your amendment?

SHRI KHARABELA SWAIN : Mr. Speaker, Sir, I just want a clarification from the hon. Minister on this. I have given notice of an amendment stating that the work should be offered not only to one person from a family, but anybody from the family should be allowed to work. If he is accepting it, then I will not be pressing my amendment.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, earlier also they did not accept it. He said that out of 100 days of work, if there are five persons in a family, work can be given only for 20 days. But we say that anyone who offers himself to work should be allowed. It should be accepted.

MR. SPEAKER: Let him decide. Mr. Swain, are you pressing that amendment?

SHRI KHARABELA SWAIN : Sir, I just want to know from the hon. Minister whether he is agreeing that work should be given not to one person in a family, but it should be given to anybody from the family who wants to work and it should be for more than 100 days. Is the Minister willing to agree to this?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोद्य, एक हाउसहोल्ड को 100 दिन तक रोजगार देने की गारंटी है। अगर दो या तीन सद्स्य मिलकर करें, तो भी 100 दिन तक उनको कार्य देने की गारंटी है।

अध्यक्ष महोद्य : सब मिलकर होगा।

SHRI KHARABELA SWAIN : Then, I am pressing my amendment.

I beg to move:

Page 1, in the long title,--

for "household whose adult members volunteer"

substitute "adult member who volunteers" (73)

MR. SPEAKER: I shall now put amendment no. 73 moved by Shri Kharabela Swain to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Long Title, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Long Title, as amended, was added to the Bill.

MR. SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill, as amended, be passed.

डा.रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोद्य, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए। "

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोद्य, मंत्री जी ने शुरू में कहा था कि अर्बन पुअर्स के लिए भी हमारा कमिटमैंट है। इनके मैनिफेस्टो में लिखा है। क्या मंत्री जी उनके लिए भी बिल लाने के लिए एश्योर करते हैं ?

अध्यक्ष महोद्य : उन्होंने बोला है।

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

[Mr. Deputy-Speaker *in the Chair]*

15.55 hrs.